

कार्यालय - ग्राम पंचायत मालेड़ा, पं.स. देवली

जिला-टोंक (राज.) 304507

प्रेषक :-

श्रीमती विमला देवी जाट

सरपंच

मो. 9680426881

प्रेषिति,
श्रीमान्

क्रमांक - GPM/SP/07/01

दिनांक 22.09.2021

विषय :- अदिवु बादिश के मकान डह गया

प्रसंग :- उल्लिखित किया जाता है कि घीसा लाल शेजल St. हस्के शेजल
मिनाजी शेजलों का मोहल्ला मालेड़ा देवली, पंचायत घीसा लाल
शेजल के कच्चा मकान है जो कि बेसी जानकारी में
सम्पूर्ण जानकारी सत्य है।



मिनाजी

ग्राम पंचायत, मालेड़ा
पंचायत समिति, देवली (टोंक)

स.प.स.

ग्राम पंचायत, मालेड़ा
पंचायत समिति, देवली (टोंक)

सरपंच

ग्राम पंचायत, मालेड़ा
पंचायत समिति, देवली (टोंक)

कार्यालय पंचायत समिति, देवली जिला टोक

क्र.स.	नाम :-	सो	लो	चो	जो	मात्रा	इकाई	लेबर	कारिगर	कुल	लेबर	कारिगर	कुल
1-	धीरालाल / हरदेव देगा मालेड़ा												
1	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका चिनाई, गारा मसाले में या बिना मसाले में सूखे पत्थर में।	1	35.00	0.38	3.00	39.90	cum						
						39.90	cum	352.80	532.50	2142.46	14076.72	21246.75	85484.15
4	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित।						cum						
						0.00	cum	352.80	532.50	2896.34	0.00	0.00	0.00
	Total										14076.72	21246.75	85484.15

कनि. तक. सहायक

पंचायत समिति, देवली

आवादी भूमि का विक्रय विलेख

(20 संकल्प)

अनुचित जाति व जन जाति व श्रमिक तथा कर्मगिरों को आवादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन

भूखण्ड का प्रारम्भ:-



पट्टा



यह आवासीय भू-खण्ड आवंटन विलेख दि 25-8-74 को एक ओर उद्देश्य

(आवंटन अधिकारी) पंचायत माले ग्राम माले तहसील देवली

जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 की धारा 13 में पंचायतों में प्रभारी अधिकारी (जिलाधीश

द्वारा नियुक्त) जो राजस्थान पंचायत एक्ट / 1953 राजस्थान एक्ट 21, 1953 के अधीन स्थापित की गई ग्राम

पंचायत है वा स्थापित हुई मानो गई है और उस एक्ट की धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार निगम निकाय है (जिसे

जिसमें आगे आवंटन अधिकारी सम्बोधित किया है दूसरी ओर श्री जीसा लाल

पिता हरदेव जाति रेजर व्यवसाय कृषि निवासी माले

(जिसे इससे आगे आवंटनी सम्बोधित किया गया है) के बीच सम्पादित किया जाता है।

चूंकि:-

1. इसके पीछे दृष्ट व वर्गित तबसे में जिसमें यह जाल स्थायी से सीमा बताई है वरिष्ठ भूमि आवंटनी के आवास

प्रयोजन हेतु अधिकार में निहित की गई है।

2. उक्त भूमि श्री जीसा लाल रेजर को आवासीय भू-खण्ड हेतु आवेदन पत्र के अनुसार में

आवंटन अधिकारी द्वारा बिजारी किया जावे। आवंटन की आज्ञा निःशुल्क की गई है इस भूमि पर निम्न शर्त और

प्रतिबन्ध होंगे।

3. इस आवासीय आवंटित भूमि को हस्तान्तरण का कोई अधिकार आवंटनी को नहीं होगा। वह उसके स्वयं

के स्वामित्व में रहेगी।

4. इस भूमि पर मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस

सोसायटी लिमिटेड को ही रहन रखी जा सकेगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं।

5. इस भूमि को आवासीय कार्य के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा।

6. इस भूमि पर जो पेड़ लगाए हुए हैं उन पेड़ों को काटे जाने की आज्ञा के पेड़ किसी तरह भी नहीं काटे जायेंगे।

7. यदि यह भूमि प्रार्थना-पत्र में भूठा विवरण पर प्राप्त की गई है तो आवंटन रद्द कर दिया जा सकेगा।

8. इस भूमि पर आवंटन के दो वर्षों के अन्दर मकान या भोपड़ी इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा यदि इस

अवधि में कार्य नहीं किया गया तो भू-खण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। विशेष कारण

वग आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है।

आवंटनी के हस्ताक्षर

जीसा लाल

आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर
आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर
25-8-74



बोम किशोर रेजि ४७ मकान

होम वाटिका



होम वाटिका

वाचि. नाडी

~~चमकी~~
~~मकान~~
~~मकान~~
~~मकान~~